राजस्थान विज्ञापन नियम, 2001

1 **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** :–

(1) इन नियमों का नाम राजस्थान विज्ञापन नियम, 2001 है।

(2) ये 2 अक्टूबर 2001 से प्रवृत होंगे।

2. **परिभाषाएं** :– इन नियमों में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) 'अनुमोदित समाचार पत्र' से सरकारी विज्ञापन देने के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित कोई समाचार पत्र अभिप्रेत है।

(ख) 'निदेशक' से निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क, राजस्थान अभिप्रेत है।

(ग) 'सरकार' से राजस्थान राज्य की सरकार अभिप्रेत है।

(घ) 'समाचार पत्र' से तात्पर्य नियत अन्तरालों पर मुद्रित और समूल्य वितरित कोई ऐसा प्रकाशन अभिप्रेत है, जिसमें प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1867 में यथा परिभाषित जनहित के समाचार या टिप्पणियां अन्तर्विष्ट हों, लेकिन इससे ऐसा कोई प्रकाशन अभिप्रेत नहीं है, जिसमें मात्र किसी वर्ग विशेष के हित की सूचना अन्तर्विष्ट हो।

(ड) 'सरकारी विज्ञापन' से किसी न्यायालय से भिन्न, सरकार के किसी भी विभाग द्वारा जारी किया गया कोई वर्गीकृत अथवा सजावटी विज्ञापन अभिप्रेत है।

(च) 'अधिसूचित दरें' से सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित विज्ञापनों की दरें अभिप्रेत हैं।

3. **अनुमोदित समाचार पत्रों को निदेशक के माध्यम से विज्ञापनों का दिया जाना**:– सरकार द्वारा जारी किये गये किसी भी सामान्य या विशेष निर्देश के अध्यधीन और नियम 10,11 और 12 में यथा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, कोई भी सरकारी विज्ञापन अनुमोदित समाचार पत्र से भिन्न किसी समाचार पत्र में और निदेशक से भिन्न किसी माध्यम से नहीं दिया जायेगा।

4. **समाचार पत्र के अनुमोदन के लिए शर्तें** :– किसी समाचार पत्र को सरकारी विज्ञापन देने के लिए अनुमोदित किया जा सकेगा, यदि –

(1) वह अनुमोदन के लिए आवेदन करने की तारीख के पूर्व, दैनिक समाचार पत्र के मामले में एक वर्ष की निरन्तर कालावधि और साप्ताहिक, पाक्षिक तथा अन्य समाचार पत्रों के मामलों में दो वर्ष की कालावधि तक नियमित रूप से प्रकाशित हुआ है। किसी समाचार पत्र को नियमित रूप से प्रकाशित किया गया तब समझा जायेगा यदि –

(क) विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्रकाशित उसके 90 प्रतिशत से अन्यून अंक नियत तारीख को निकल गये हैं,

(ख) उसे डाक विभाग से, रियायती दरों पर भेजे जाने के लिए रजिस्ट्रीकृत करवा लिया गया है,

(ग) उसकी न्यूनतम समूल्य प्रसार संख्या–

(1) यदि वह दैनिक समाचार पत्र है तो 2000 प्रतियों की है,

(2) यदि वह साप्ताहिक या पाक्षिक समाचार पत्र है तो 1000 प्रतियों की है,

(3) उसके प्रकाशन में ऑल इंडिया एडीटर्स कॉन्फ्रेन्स, ऑल इंडिया वर्किंग जर्नलिस्ट्स फैडरेशन और प्रेस काउन्सिल ऑफ इंडिया द्वारा अधिकथित आचार मानकों का अनुसरण किया गया हो,

(4) वह ऐसी रीति से व्यवस्थित न किया गया हो, जिससे राष्ट्र की सामान्य एकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो,

(5) वह ऐसी नीति का अनुसरण न करता हो, जिससे सामाजिक ढांचे में साम्प्रदायिक घृणा उभरती हो या उससे विखण्डन की प्रवृतियां उत्पन्न होती हों,

(6) उससे भारत के संविधान में विश्वास की कमी प्रदर्शित न होती हो,

(7) वह भारत के संविधान के भाग 3 में यथा अधिकथित मौलिक अधिकारों को बढ़ावा देता हो,

(8) वह समाचार पत्र पृष्ठ परिवर्तन का सहारा न लेता हो और एक ही सामग्री विभिन्न तारीखों को प्रकाशित न करता हो।

5. समाचार पत्रों के अनुमोदन की प्रक्रिया –

(1) सरकारी विज्ञापन देने के लिए समाचार पत्र को अनुमोदित कराने की इच्छा रखने वाले किसी समाचार पत्र का प्रबन्ध मण्डल–

(क) इन नियमों में संलग्न अनुसूची में दिये गये प्रारूप में, जो संबंधित जनसम्पर्क अधिकारी के पास से निःशुल्क उपलब्ध होगा और उसके द्वारा प्रदायित किया जायेगा, संबंधित जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारियों के माध्यम से निदेशक को आवेदन करेगा,

(ख) आवेदन की एक प्रति निदेशक को सीधे ही प्रस्तुत करेगा,

(ग) ऐसे आवेदन के साथ प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 (1867 का केन्द्रीय अधिनियम 25) की धारा 10 ग के अधीन जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण और डाक विभाग से रियायती दरों पर समाचार पत्र भेजने की अनुज्ञा देने वाला रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा,

(घ) समाचार पत्र की प्रसार संख्या प्रमाणित करते हुए चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।

(2) समाचार पत्र के अनुमोदन के लिए आवेदन पर तब तक विचार नहीं किया जायेगा जब तक उसके द्वारा उपरोक्त उप–नियम (1) में उल्लिखित शर्त तथा नियम 4 के खण्ड (1) से (7) तक में यथा अन्तर्विष्ट शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया हो।

(3) निदेशक विभाग के किसी प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से समाचार पत्र की नियमितता का परीक्षण करेगा। अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर समाचार पत्र के अनुमोदन और प्रवर्गीकरण के सम्बन्ध में आगे की कार्यवाही की जायेगी।

(4) जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, विषय–वस्तु का सावधानीपूर्वक सत्यापन करने के पश्चात् आवेदन, अपनी सिफारिश के साथ, निदेशक को, कार्यालय में उसकी प्राप्ति के 15 दिन की कालावधि के भीतर अग्रेषित करेगा।

(5) निदेशक, उप–नियम (1) के अधीन प्राप्त आवेदनों की विषय–वस्तु की सत्यता के बारे में स्वयं का समाधान करने के पश्चात उसे पूर्ण और सम्यक् रूप से भरे आवेदन प्रारूप की प्राप्ति के 90 दिन के भीतर–भीतर नियम 15 के अधीन गठित समिति को प्रस्तुत करेगा। तदुपरान्त समिति की सिफारिशों को निदेशक अपनी टिप्पणी के साथ, सरकार को अंतिम अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा तथा अनुमोदन की तारीख से 30 दिन की कालावधि के भीतर–भीतर उस समाचार पत्र विशेष का अनुमोदन जारी कर दिया जायेगा।

(6) निदेशक, उप–नियम (1) के अधीन प्राप्त आवेदनों की विषय–वस्तु के बारे में स्वयं का समाधान हो जाने के पश्चात् समाचार पत्र को, उस कालावधि तक, जब तक सरकार द्वारा अंतिम विनिश्चय न कर लिया जाए, अस्थाई अनुमोदन के लिए समर्थ होगा।

6. समाचार पत्रों का वर्गीकरण :–

(1) विज्ञापन देने के प्रयोजन के लिए समाचार पत्रों को सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित मानकों के अनुसार राजस्थान क्षेत्र के अतिरिक्त प्रकाशित होने वाले पत्रों को तथा राजस्थान राज्य से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को 'राष्ट्रीय', 'बड़ा', 'मध्यम' और 'छोटा' के रूप में वर्गीकृत किया जायेगा।

(2) भारत सरकार के समाचार पत्र पंजीयक द्वारा वर्गीकरण के आधार पर ही समाचार पत्र की नियतकालिता मानी जायेगी।

(3) एक बार वर्गीकरण हो जाने पर एक वर्ष के पूर्व पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा।

7. विज्ञापनों की दरें :–

(1) विज्ञापनों की दरें वे होंगी जो सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जायेंगी।

(2) सभी अनुमोदित समाचार पत्रों को विज्ञापन दरों की दृष्टि से दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक एवं अन्य नियतकालिक पत्र पत्रिकाओं के रूप में वर्गीकृत किया जायेगा। समाचार

पत्र–पत्रिकाओं की प्रसार संख्या व अन्य मानकों के आधार पर विज्ञापन दरों का निर्धारण निम्न प्रकार होगा–

दर	मानक
1	2
(क) दैनिक पत्र	न्यूनतम आकार 20X30/2 सेमी में होगा। सम्पादकीय आवश्यक होगा तथा विज्ञापनों का कवरेज 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। दरें प्रति कॉलम सेमी इस प्रकार हैः–
दर रुपये 25.00	1. 6000 से ऊपर समूल्य प्रसार संख्या 2. न्यूनतम 6 पृष्ठों का प्रकाशन
दर रुपये 20.00	1. 4001 से 6000 तक समूल्य प्रसार संख्या 2. न्यूनतम 4 पृष्ठों का प्रकाशन
दर रुपये 15.00	1. 2000 से 4000 तक समूल्य प्रसार संख्या 2. दो पृष्ठों का प्रकाशन
(ख) साप्ताहिक पत्र	न्यूनतम आकार 20X30/4 सेमी का होगा। सम्पादकीय आवश्यक होगा तथा विज्ञापनों का कवरेज 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। दरें प्रति कॉलम सेमी इस प्रकार हैः–
दर रुपये 20.00	1. 2000 से ऊपर समूल्य प्रसार संख्या 2. न्यूनतम 8 पृष्ठों का प्रकाशन
दर रुपये 15.00	1. 1501 से 2000 तक समूल्य प्रसार संख्या 2. न्यूनतम 6 पृष्ठों का प्रकाशन
दर रुपये 10.00	1. 1000 से 1500 तक समूल्य प्रसार संख्या 2. न्यूनतम 4 पृष्ठों का प्रकाशन
(ग) पाक्षिक पत्र	न्यूनतम आकार 20X30/4 सेमी का होगा। सम्पादकीय आवश्यक होगा। विज्ञापनों का कवरेज 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। पाठ्य सामग्री में लेख, निबंध, कहानी, फीचर आदि होंगे। दरें प्रति कॉलम सेमी इस प्रकार हैं:–
दर रुपये 16.00	1. 2000 से ऊपर समूल्य प्रसार संख्या 2. न्यूनतम 8 पृष्ठों का प्रकाशन

दर रुपये 12.00	1. 1501 से 2000 तक समूल्य प्रसार संख्या 2. न्यूनतम 6 पृष्ठों का प्रकाशन
दर रुपये 8.00	1. 1000 से 1500 तक समूल्य प्रसार संख्या 2. न्यूनतम 4 पृष्ठों का प्रकाशन
(घ) अन्य पत्र	जो पत्र–पत्रिकाएं ऊपर वर्णित 'क', 'ख', व 'ग' श्रेणी में नहीं हैं उससे भिन्न प्रकार के पत्र इस श्रेणी में आयेंगे जिनकी नियतकालिता होगी और जिसमें पाठ्य सामग्री लेख, निबंध, कहानी, फीचर आदि होंगे।
दर रुपये 16.00	1. 1500 से ऊपर समूल्य प्रसार संख्या 2. न्यूनतम 16 पृष्ठ
दर रुपये 12.00	1. 1000 से 1500 तक समूल्य प्रसार संख्या 2. न्यूनतम 12 पृष्ठ
दर रुपये 8.00	1. 500 से 1000 तक समूल्य प्रसार संख्या 2. न्यूनतम 8 पृष्ठ

(3) यदि कोई समाचार पत्र, निदेशक, विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार (डीएवीपी) द्वारा अनुमोदित दरों पर विज्ञापन लेने के लिए आवेदन करता है तो विज्ञापन ऐसी दरों पर इस शर्त के साथ अनुज्ञात किया जाएगा कि संबंधित समाचार पत्र, इन नियमों में यथा अभिकथित उपबन्धों का अनुसरण करने के लिए लिखित रूप से सहमति प्रदान करता है। डीएवीपी द्वारा दरों का अनुबन्ध पत्र 30 सितम्बर तक निदेशक को प्रस्तुत करने पर ही दरें भूतलक्षित प्रभाव से मान्य हो सकेंगी अन्यथा जिस दिनांक को डीएवीपी दरों का अनुबन्ध पत्र निदेशालय में प्रस्तुत किया जाएगा उसी दिनांक से डीएवीपी दर स्वीकृत की जा सकेगी। यदि कोई समाचार पत्र किसी अन्य विज्ञापनदाता को किसी निम्नतर दर पर विज्ञापन के लिए अनुज्ञा देता है तो ऐसी निम्नतर दर ही समस्त सरकारी विज्ञापनों पर लागू होगी।

(4) यदि सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय द्वारा किसी विज्ञापन विशेष को समाचार पत्र के किसी विनिर्दिष्ट स्थान पर प्रकाशित करने के लिए किसी समाचार पत्र को कहा जाए तो समाचार पत्र की विद्यमान दर संरचना के अनुसार अतिरिक्त प्रभार संदेय होगा। परन्तु विद्यमान दरों से 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(5) प्रत्येक समाचार पत्र, पत्रिका, नियतकालिक पत्रिका या कोई अन्य प्रकाशन, जिसमें सरकार द्वारा जारी किया गया सजावटी विज्ञापन प्रकाशित होता है, निदेशक को सजावटी विज्ञापनों पर दरों में 15 प्रतिशत की कटौती अनुज्ञात करेगा।

(6) **इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की दरें** :– इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए विज्ञापन की दरें राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जायेंगी। जो प्राइम टाइम और नॉन प्राइम टाइम को आधार मानकर प्रति दस सैकण्ड के हिसाब से देय होंगी।

8. विज्ञापन की दरों का अनुमोदन :–

(1) राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथा अधिसूचित दर संरचना पर आधारित विज्ञापन दरें, राज्य सरकार के विज्ञापनों के लिए अनुमोदित समाचार पत्रों हेतु अनुमोदित की जायेंगी।

(2) सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय/विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) की दरों पर सरकारी विज्ञापन प्राप्त करने का इच्छुक समाचार पत्र, निदेशक को प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन के साथ अपना सनदी लेखापाल का प्रमाण–पत्र एवं अनुमोदित दर भी प्रस्तुत करेगा।

(3) सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, दरों का अनुमोदन कराने के लिए समाचार पत्र से प्राप्त आवेदन का निपटारा, आवेदन प्राप्त होने के 90 दिन के भीतर–भीतर करेगा।

9. विज्ञापनों के आकार का प्राक्कलन :–

(1) ऑफसेट प्रिटिंग प्रेस पर मुद्रित समाचार पत्रों के लिए विज्ञापन का आकार आठ पॉइण्ट आकार के अक्षर को आधार मानकर प्राक्कलित किया जाएगा।

(2) अक्षर प्रेस पर मुद्रित समाचार पत्रों के लिए 12 पॉइण्ट को आधार माना जाएगा।

10. सरकारी विभागों द्वारा विज्ञापनों का दिया जाना :–

(1) न्यायालयों से भिन्न, समस्त सरकारी विभाग,अनुमोदित समाचार पत्रों में प्रकाशन के लिए अपने वर्गीकृत विज्ञापन, उन अनुमोदित समाचार पत्रों के जिनमें उन्हें प्रकाशित किया जाना है, नाम का विनिर्दिष्ट रूप से उल्लेख किये बिना विज्ञापन के कार्यान्वयन के क्षेत्र का सामान्यतया उल्लेख करते हुए उस तारीख से पर्याप्त समय पूर्व जिस तक उन्हें प्रकाशित किया जाना आशयित है, निदेशक को भेजेंगे। निविदा आमंत्रित करने की सूचना के प्रकाशन की तारीख से निविदाएं प्राप्त करने के लिए दिया जाने वाला न्यूनतम समय राजस्थान में लागू सामान्य वित्तीय और लेखा नियमों के अनुबन्धों के अनुसार होगा।

(2) विज्ञापन प्राप्त होने के पश्चात् निदेशक उस विज्ञापन को निदेशालय में प्राप्त होने के सात दिन के भीतर–भीतर (राजकीय अवकाशों को छोड़कर) विभिन्न समाचार पत्रों को भेजेगा।

(3) निदेशक द्वारा प्राप्त किए गए समस्त विज्ञापन सामान्यतः अनुमोदित समाचार पत्रों को उसी रूप में दिये जायेंगे जिसमें वे प्राप्त हुए हैं, किन्तु निदेशक को, समुचित स्थान को

ध्यान में रखते हुए जब कभी भी आवश्यक हो, उसके विन्यास एवं रचना में आवश्यक संशोधन करने का अधिकार होगा।

11. अनुमोदित समाचार पत्रों को विज्ञापन का विवरण :–

(1) निदेशक को, विभिन्न कारणों जैसे राज्य सरकार के विज्ञापनों के लिए समाचार पत्र के अनुमोदन का वर्ष, संबंधित समाचार पत्र का प्रवर्ग, प्रसार, प्रकाशन के स्थान, अन्तर्निहित भौगोलिक क्षेत्र, नियतकालिकता, पृष्ठों की संख्या, मुद्रण के ढंग और गुणवत्ता आदि पर निर्भर रहते हुए विभिन्न अनुमोदित समाचार पत्रों में विज्ञापन वितरित करने की शक्तियां होंगी। ऐसा वितरण सरकार द्वारा समय–समय पर अधिकथित प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा।

(2) अनुमोदित समाचार पत्रों को सरकारी विज्ञापनों का वितरण करते समय निदेशक उस क्षेत्र की ओर सम्यक् ध्यान देगा जिसे विज्ञापन के अन्तर्गत लाना आशयित है और समाचार पत्रों के राजनीतिक दृष्टिकोण पर ध्यान दिये बिना, अनुमोदित समाचार पत्रों में सरकारी विज्ञापनों का वितरण करेगा।

(3) निदेशक द्वारा किसी भी ऐसे समाचार पत्र को जो न तो राज्य सरकार द्वारा और न ही भारत सरकार द्वारा अनुमोदित है, कोई विज्ञापन नहीं दिया जाएगा।

(4) अनुमोदित समाचार पत्र को सजावटी विज्ञापन (उनसे भिन्न जो विभिन्न सरकारी विभागों से निदेशक द्वारा जारी किए जाने के लिए प्राप्त हुए हैं) सरकार का सामान्य या विशिष्ट रूप से अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् ही दिया जाएगा।

(5) किन्ही भी नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सरकार को, किसी समाचार पत्र, पत्रिका, नियतकालिक या अन्य किसी प्रकाशन को, जो चाहे राज्य के भीतर या राज्य के बाहर प्रकाशित होते हों, उन दरों पर जो उचित समझी जायें, कोई वर्गीकृत या सजावटी विज्ञापन देने की शक्तियां होंगी, यदि ऐसा विज्ञापन आवश्यक समझा जाए।

12. राज्य के बाहर के समाचार पत्रों को विज्ञापन :–

(1) निदेशक, सरकार द्वारा इस निमित्त जारी किए गए किन्ही सामान्य या विशेष निर्देशों के अध्यधीन रहते हुए, राज्य के बाहर से प्रकाशित और भारत सरकार द्वारा अपने विज्ञापन देने के लिए अनुमोदित समाचार पत्रों को अनुमोदित दरों का विज्ञापन देगा।

(2) राज्य के बाहर से समाचार पत्रों को दिए जाने वाले सजावटी विज्ञापनों के लिए सरकार की पूर्व मंजूरी आवश्यक होगी।

13. विज्ञापन बिलों का संदाय :–

(1) निदेशक द्वारा दिए गए सरकार के सजावटी विज्ञापनों से संबंधित बिलों का संदाय सामान्यतः निदेशाालय में सभी प्रकार से पूर्ण बिल प्रस्तुत किए जाने पर 90 दिन की अवधि में किया जाएगा।

(2) विभिन्न सरकारी विभागों से संबंधित वर्गीकृत, साथ ही सजावटी विज्ञापनों के बिलों का संदाय संबंधित विभागों द्वारा सामान्यतः 90 दिन की अवधि में किया जाएगा।

(3) बिलों का संदाय रिलीज आदेश और निदेशक द्वारा जारी की गई संसूचना के अनुसार विज्ञापन के प्रकाशन के सम्यक् सत्यापन के पश्चात् किया जाएगा।

(4) किसी भी बिल का संदाय नहीं किया जाएगा यदि वह विज्ञापन, जिससे यह संबंधित है :–

(क) उस तारीख की समाप्ति के पश्चात् प्रकाशित हुआ है, जिस तक उसे प्रकाशित किया जाना अपेक्षित था, या

(ख) निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी भी अन्य अधिकारी के पूर्व लिखित आदेश के बिना प्रकाशित हुआ है, या

(ग) गलत प्रकाशित हुआ है :

परन्तु यदि प्रकाशन में पर्याप्त समय बचता हो तो अनुमोदित समाचार पत्र को उसे सही रूप में पुनः प्रकाशित करने का एक अवसर दिया जाएगा।

(5) बिलों का संदाय, जहां तक सम्भव हो, उसी क्रम में किया जायेगा जिसमें वे कार्यालय में प्राप्त हुए हैं। बिलों की संवीक्षा और निपटारे में जितना कम से कम समय लिया जाना संभव हो उतना लिया जाएगा और वे राजस्थान में लागू सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन होंगे। संदाय का ढंग ऐसा होगा जो विभाग में इस निमित्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिश्चित किया जाएगा।

14. अनुमोदित समाचार पत्रों की सूची और विज्ञापनों की सांख्यिकी :–

(1) निदेशक अनुमोदित समाचार पत्रों की एक सूची रखेगा जिसमें निम्नलिखित का उल्लेख किया जाएगा–

(क) अनुमोदित समाचार पत्रों के नाम,

(ख) अनुमोदन की तारीखें,

(ग) अनुमोदित समाचार पत्रों का वर्गीकरण और प्रवर्ग

(i) क्या वह दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक या अन्य समाचार पत्र है,

(ii) क्या वह राष्ट्रीय, बड़ा, मध्यम एवं छोटा समाचार पत्र है,

(घ) प्रत्येक मास के दौरान प्रत्येक समाचार पत्र को दिए गए विज्ञापनों का कुल स्थान स्तम्भ सेंटीमीटर में।

(ड.) निदेशक द्वारा जारी किए गए विज्ञापनों की एवज में प्रत्येक मास किया गया कुल संदाय।

15. सलाहकार समिति :–

(1) (क) सरकार द्वारा एक सलाहकार समिति गठित की जायेगी जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :–

(i)	निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग	अध्यक्ष
(ii)	सरकार द्वारा दो वर्ष की कालावधि के लिए नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले 10 पत्रकार	सदस्य
(iii)	सम्बन्धित संयुक्त निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क	सदस्य सचिव

(ख) बैठक का कोरम अध्यक्ष सहित पांच सदस्यों का होगा।

(ग) समिति की बैठक तीन मास में कम से कम एक बार होगी। समिति अनुमोदन के लिए नियम, 5 के अधीन उसे प्रस्तुत किये गए समस्त आवेदनों का परीक्षण करेगी और अनुमोदन के लिए आवश्यक न्यूनतम समूल्य प्रसार संख्या तथा अन्य शर्तों के बारे में अपना समाधान करने के पश्चात निदेशक को प्रत्येक समाचार पत्र के लिए, अपनी रिपोर्ट भेजेगी, जो अपनी टिप्पणियों के साथ उसे अंतिम अनुमोदन के लिए, बिना किसी विलम्ब के, सरकार को प्रस्तुत करेगा।

(घ) समिति, पहले से अनुमोदित समाचार पत्रों के बारे में उनकी प्रसार संख्या, प्रकाशन स्तर, पत्रकारिता के स्तर, प्रकाशन में नियमितता, सम्पादकों की अर्हता और अनुभव और अन्य सुसंगत आंकड़ों का, जैसा वह उचित समझे, पुनर्विलोकन भी करेगी और यदि ऐसा परीक्षण करने पर समिति का यह विचार हो, कि किसी अनुमोदित समाचार पत्र के विद्यमान वर्गीकरण को किसी भिन्न वर्गीकरण में परिवर्तित किया जाना चाहिये तो समिति, निदेशक को कारणों सहित अपनी रिपोर्ट देगी जो उसे अपनी टिप्पणियों के साथ सरकार को अंतिम विनिश्चय के लिए अग्रेषित करेगा।

(ड़) समिति, निदेशक को नियम 17 के अधीन अनुमोदित समाचार पत्रों की सूची से नाम हटाए जाने के सम्बन्ध में सिफारिशों के लिए पूर्ण औचित्य देते हुए एक त्रैमासिक रिपोर्ट भी भेज सकेगी।

(च) समिति इन नियमों में संशोधन करने के लिए सिफारिश भी कर सकेगी।

(2) निदेशक, समिति द्वारा की गई सिफारिशों के सम्बन्ध में, सरकार को समिति की समस्त रिपोर्टों की प्रतियां अपनी टिप्पणियों के साथ प्रस्तुत करेगा और वह नियमों में यथा उपबंधित पर्यवेक्षण और नियंत्रण की अपनी शक्तियों का प्रयोग करना जारी रखेगा।

16. **पर्यवेक्षण और नियंत्रण** :– यह निदेशक की शक्तियों के भीतर होगा कि वह यह जांच पड़ताल और सत्यापन करे कि कोई अनुमोदित समाचार पत्र इन नियमों के किन्हीं भी उपबन्धों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, ऐसी जांच पड़ताल तथा सत्यापन करने के लिए उसके पास निम्नलिखित शक्तियां होंगी :–

(क) ऐसी प्रक्रियाएं अपनाकर, जैसी वह उचित और आवश्यक समझे, अनुमोदित समाचार पत्रों के प्रसार, वितरण और नियमितता तथा अन्तर्वस्तु आदि की नियतकालों पर जांच पड़ताल करना।

(ख) भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार या किसी अन्य सुसंगत प्राधिकारी द्वारा रखी गई सांख्यिकी के संदर्भ में उसका सत्यापन करना।

(ग) समाचार पत्र के प्रबन्ध मण्डल से निम्नलिखित के संदर्भ में सूचना मांगना :–

(i) समाचार पत्र मुद्रण के लिए कागज का क्रय और उपयोगिता,

(ii) उपयोग की जाने वाली मुद्रण स्याही का क्रय और उपयोगिता,

(iii) प्रिंटिंग प्रेस आदि में उपयुक्त विद्युत,

(iv) ऐसी सूचना के समर्थन में आवश्यक सबूत प्रस्तुत करने के लिए सूचना मंगाने की तारीख तक समाचार पत्र के मुद्रण में उपयोग में लाई गई मशीन की गति या दर और मेक,

(v) प्रिंटिंग प्रेस तथा कार्यालय में और समाचार पत्र के वितरण के लिए नियोजित जनशक्ति,

(vi) लाभ और हानि खाता।

(घ) प्रेस काउन्सिल ऑफ इण्डिया या नियम 15 के अधीन गठित सलाहकार समिति से इस सम्बन्ध में परामर्श लेना कि क्या वह इस बाबत शंकाओं को ग्रहण कर रहे हैं कि अनुमोदित समाचार पत्र अपेक्षित नैतिक मानकों का अनुसरण नहीं कर रहा है।

(ड़) समाचार पत्रों के प्रसार क्षेत्र और समाचार पत्रों की लाइन तथा रुख को अभिनिश्चत करने के लिए केन्द्र और राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के साथ सम्पर्क रखना, अर्थात् :–

केन्द्र सरकार के विभाग

(i) न्यूज पेपर ऑफ इण्डिया के रजिस्ट्रार,

(ii) निदेशालय विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार,

(iii) डाक एवं तार विभाग,

(iv) रेलवे प्रशासन,

(v) आयकर विभाग।

राज्य सरकार के विभाग

(i) श्रम विभाग,

(ii) ऊर्जा एवं शक्ति विभाग,

(iii) सड़कों तथा परिवहन से सम्बन्धित विभाग,

(iv) वाणिज्यिक कर विभाग।

17. अनुमोदित समाचार पत्रों की सूची से नाम हटाना :–

(1) यदि किसी भी समय यह सिद्ध हो जाए कि समाचार पत्रों द्वारा सरकारी विज्ञापन दिये जाने के लिए उन्हें अनुमोदित करने के लिए दी गई या किसी वर्ष विशेष में दरों के नवीकरण के लिए आवेदन करते समय दी गई सूचना मिथ्या थी अथवा, ऐसे आवेदन के पश्चात् उसमें लगातार सच्चाई नहीं रहती है या किसी समाचार पत्र ने नियमों में विनिर्दिष्ट किन्हीं भी शर्तो का उल्लंघन किया है तो सरकार, आदेश से, अनुमोदित समाचार पत्रों की सूची से समाचार पत्र का नाम हमेशा के लिए या ऐसी कालावधि के लिए जैसा वह उचित समझे, हटा सकेगी और इसके पश्चात या ऐसी आदिष्ट पर कालावधि के दौरान उक्त समाचार पत्र को कोई भी सरकारी विज्ञापन नहीं दिया जायेगा :

परन्तु ऊपर उपदर्शित कार्रवाई किसी भी समाचार पत्र के विरूद्ध तब तक नहीं की जायेगी जब तक उसके प्रबन्ध मण्डल को उन अभिकथनों को, जिनके आधार पर उसके विरूद्ध कार्रवाई करना प्रस्तावित है, स्पष्ट करने का उचित अवसर न दिया गया हो।

(2) आदेश पारित करने के तुरन्त पश्चात उप नियम (1) के अधीन पारित आदेश की एक प्रति निदेशक, विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार, भारत सरकार को अग्रेषित की जायेगी।

(3) निदेशक को, मामले के गुणावगुण पर निर्भर रहते हुए, किसी भी समाचार पत्र को विज्ञापन, वितरण अस्थाई रूप से स्थगित करने की शक्तियां होंगी, यदि प्रारंभिक जांच करने पर यह पाया जाये कि समाचार पत्र ने इन नियमों के किन्हीं भी उपबन्धों का उल्लंघन किया है।

18. **अनुमोदन कोई अधिकार नहीं देता :–** इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी समाचार पत्र को सरकारी विज्ञापन देने के लिए अनुमोदित किया जाता है तो मात्र यही तथ्य कोई भी सरकारी विज्ञापन प्राप्त करने के लिए उक्त समाचार पत्र को कोई अधिकार प्रदत्त नहीं कर देगा, न ही इस प्रयोजन के लिए किसी समाचार पत्र के अनुमोदन से उसके विरूद्ध राय की कोई अभिव्यक्ति विवक्षित होगी।

19. **निरसन और व्यावृत्ति :–** इन नियमों के प्रारंभ के ठीक पूर्व प्रवृत्त सरकारी विज्ञापन नियम, 1962 और इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले मामलों से सम्बन्धित आदेश इसके द्वारा निरसित किए जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों और आदेशों के अधीन किया गया कोई भी आदेश या कार्यवाही इन नियमों के उपबन्धों के अधीन की गई समझी जायेगी :

परन्तु निदेशक द्वारा इन नियमों के लागू होने की तारीख तक, जारी/वितरित किए गए विज्ञापन बिलों का संदाय निदेशक द्वारा किया जायेगा। इन नियमों के लागू होने पर संदाय इन नियमों के नियम 13 के अनुसार किया जायेगा।

समाचार पत्र के संबंध में परियापन–पत्र

(इसे संबंधित जिला जनसम्पर्क अधिकारी के माध्यम से ही भिजवाया जाए)

1. पत्र का नाम
2. पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता है?
3. पत्र का स्थान
   - क. पूरा पता
   - ख. तार का पूरा पता
   - ग. दूरभाष संख्या
4. पत्र प्रारम्भ होने की तिथि
5. प्रारम्भिक स्वामी का नाम
6. क्या प्रारम्भ होने के बाद स्वामी में परिवर्तन हुआ है? यदि हुआ है तो विवरण
7. वर्तमान स्वामी का नाम व पूरा पता
8. समाचार पत्र की सम्पादकीय नीति
9. क. सम्पादक का नाम, शैक्षणिक योग्यता तथा पत्रकारिता का अनुभव प्रमाण–पत्र
   - ख. प्रकाशक (नाम व पता लिखें)
   - ग. विज्ञापन व्यस्थापक
   - घ. मुद्रक (नाम व पता लिखें)
   - ड. व्यवस्थापक
10. क्या पत्र प्रारम्भ होने के बाद कभी बन्द रहा है?
11. यदि बन्द रहा है तो कितने समय तक और क्यों?
12. पत्र का संक्षिप्त इतिहास
13. आपका पत्र सम्पादकों एवं संचालकों के किन–किन संगठनों का सदस्य है?
14. उन प्रकाशकों के नाम जो आपके पत्र के स्वामी के अतिरिक्त निकालते हैं, या इनकी देखरेख में निकालते हैं।
15. पत्र दैनिक/साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक/त्रैमासिक/अर्द्धवार्षिक है (जो लागू न हो उसे काट दें)।
16. वितरण संख्या
17. विज्ञापन दर ..... रुपये ..... प्रति कॉलम सेंटीमीटर (रेट कार्ड संलग्न करें)
18. सरकारी विज्ञापनों के लिए दर ..... (सरकार द्वारा संचालित एवं सहायता प्राप्त संस्थाओं के सब तरह के विज्ञापन के लिए एक ही दर बतायें। इस दर पर आवश्यकतानुसार विज्ञापन दिए

जायेंगे और निर्दिष्ट अवधि में निर्धारित संख्या अथवा मात्रा में विज्ञापन देने के लिए सरकार बाध्य नहीं होगी)

19. भारत सरकार एवं किस–किस राज्य सरकार से यह विज्ञापनों के लिए स्वीकृत है और इनमें प्राप्त दर क्या हैं? भारत सरकार के लिए रुपये ..... प्रति कॉलम प्रति सेंटीमीटर/राज्य सरकार के लिए रुपये ..... प्रति कॉलम प्रति सेंटीमीटर।

20. न्यूनतम व्यापारिक विज्ञापन दर क्या है?

    रुपये .... पैसे ..... प्रति कॉलम सेन्टीमीटर।

21. देश की उन विज्ञापन एजेन्सियों के नाम जिससे आप के पत्र को विज्ञापन मिलते हैं।

22. दैनिक के लिए प्रातःकाल/सायंकाल प्रकाशन के कितने समय पहले प्रतियां सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत हो जाती हैं।

23. समाचार प्राप्त करने के साधन।

24. वर्ष में साधारणतः कब–कब विशेषांक निकालते हैं।

25. मुद्रण संबंधी जानकारी

    1. छपे हुए पेज की साइज
    2. चौड़ाई ..... लम्बाई .....
    3. एक पेज में कितने कॉलम होते हैं.....
    4. कॉलम की चौड़ाई
    5. मुद्रित एक पेज का क्षेत्रफल
    6. क्या रंगीन छपाई भी है ..... कितनी प्रतिशत
    7. छपाई का प्रकार ऑफसेट/ट्रेडल
    8. औसत प्रति संख्या
    9. एक अंक में साधारणतः कितने कॉलम में विज्ञापन रहता है।

26. अंक की निर्धारित मुद्रण संख्या

27. अंक के ग्राहकों को सीधी बिक्री की संख्या

28. अंक की एजेन्टों द्वारा बिक्री की संख्या

29. अंक की विज्ञापनदाताओं एवं अन्य लोगों को बिना मूल्य भेजने की संख्या

30. समूल्य वितरण प्रतियों की प्रमाणित संख्या

31. राजस्थान में पत्र की जिलेवार वितरण संख्या

    जयपुर/अजमेर/जोधपुर/उदयपुर/कोटा/बीकानेर व अन्य जिले .....।

32. राजस्थान से बाहर बिकने वाली प्रतियों का राज्यवार ब्यौरा

(पत्र के एक वर्ष के नमूने भेजें दैनिक समाचार पत्र के संबंध में एवं दो वर्ष के नमूने साप्ताहिक एवं पाक्षिक समाचार पत्रों के लिए) ।

नोट : 1. कृपया परियापन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपियों सहित जनसम्पर्क कार्यालय में भिजवाने का कष्ट करें ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

1. प्रेस रजिस्ट्रार का प्रमाण पत्र।
2. डाक तार विभाग का प्रमाण पत्र।
3. पिछले अंकों की नियमित फाइल का एक सेट (दैनिक में 12 माह एवं साप्ताहिक/पाक्षिक में 24 माह)
4. चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का प्रमाण पत्र यदि प्रसार संख्या 1000 से अधिक हो तो प्रस्तुत करें।
5. घोषणा पत्र की प्रति।
6. पत्रकारिता का अनुभव प्रमाण पत्र।
7. दर कार्ड।

नोट : 2. कृपया सभी कॉलमों की पूर्ति करें व सभी पृष्ठों पर सम्पादक/प्रकाशक के हस्ताक्षर करें।

मैं प्रमाणित करता हूँ कि ऊपर दी गई सूचनाएं मेरी जानकारी में एवं विश्वास के अनुसार सही हैं। मैं यह भी विश्वास दिलाता हूँ कि इन सूचनाओं में जब कभी भी परिवर्तन करूंगा तो उसकी सूचना, सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान, जयपुर को दे दूंगा।

सम्पादक/प्रकाशक के हस्ताक्षर

दर प्राप्त करने का विकल्प

मैं .....जो कि .....
का

(प्रकाशक/सम्पादक का नाम) (समाचार पत्र का नाम)

प्रकाशक/सम्पादक हूं घोषणा करता हूं कि मुझे निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय द्वारा स्वीकृत राज्य सरकार की दरें मान्य हैं और इन्हीं दरों पर मैं नियमानुसार तीन वर्ष तक विज्ञापन प्रकाशित करूंगा।

अथवा

मैं ..... जो कि .....

(प्रकाशक/सम्पादक का नाम) (समाचार पत्र का नाम)

का प्रकाशक/सम्पादक हूं घोषणा करता हूं कि मैं डी.ए.वी.पी. भारत सरकार के अनुबन्ध पत्र में शर्तों के आधार पर प्राप्त दरों पर कार्य करूंगा तथा वहां से दरें स्वीकृत कराकर सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय के कार्यालय में नियमानुसार समय पर प्रस्तुत कर दूंगा।

प्रकाशक/सम्पादक

(नोट – उक्त में से जो लागू हो उसे भरकर हस्ताक्षर कर दें। जो लागू नहीं हो उसे काट दें)

राज्यपाल की आज्ञा से,
ह0
उप शासन सचिव,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग।